

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 05/2022-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2022

सा. का. नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (8) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट तारीख से, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी संख्या सा.का.नि. द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का विखंडन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	सा.का.नि. सं.	तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	10/1995, सीमाशुल्क, तारीख 7 मार्च, 1995	117(अ) तारीख 7 मार्च, 1995	2 फरवरी, 2022
2.	26/1999, सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999	162(अ) तारीख 28 फरवरी, 1999	
3.	27/2004, सीमाशुल्क, तारीख 23 जनवरी, 2004	74(अ) तारीख 23 जनवरी, 2004	
4.	14/2006, सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006	86(अ) तारीख 1 मार्च, 2006	
5.	48/2006, सीमाशुल्क, तारीख 27 मई, 2006	315(अ) तारीख 27 मई, 2006	
6.	90/2007, सीमाशुल्क, तारीख 26 जुलाई, 2007	509(अ) तारीख 26 जुलाई, 2007	
7.	8/2011, सीमाशुल्क, तारीख 14 फरवरी, 2011	91(अ) तारीख 14 फरवरी, 2011	

8.	24/2011, सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011	150(अ) तारीख 1 मार्च, 2011	
9.	49/2013, सीमाशुल्क, तारीख 29 नवम्बर, 2013	762(अ) तारीख 29 नवम्बर, 2013	
10.	23/2014, सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014	470(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014	
11.	37/2015, सीमाशुल्क, तारीख 10 जून, 2015	474(अ) तारीख 10 जून, 2015	
12.	11/2016, सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016	205(अ) तारीख 1 मार्च, 2016	
13.	20/2020, सीमाशुल्क, तारीख 9 अप्रैल, 2020	247(अ) तारीख 9 अप्रैल, 2020	
14.	40/2020, सीमाशुल्क, तारीख 28 अक्टूबर, 2020	681(अ) तारीख 28 अक्टूबर, 2020	
15.	82/2017, सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्टूबर, 2017	1341(अ) तारीख 27 अक्टूबर, 2017	1 मई, 2022

[फा. सं. 334/01/2022-टी.आर.यू.]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार